मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

निग –1474 – I –16

पुनरीक्षण आवेदन क. /2016

गौरीशंकर खंगार, आयु 55 वर्ष, पेशा कृषि पुत्र श्यामलाल खंगार, निवासी ग्राम शिवपुरी जमड़ार तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...........आवेदक

बनाम्

(1) प्रभुदयाल खंगार पुत्र श्यामलाल खंगार, निवासी ग्राम शिवपुरी जमड़ार तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

738
21-4-16

(2) रघुनाथ सिंह पुत्र तेज सिंह, निवासी ग्राम शिवपुरी जमड़ार तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

(3) श्रीमति पुष्पा पत्नी मुन्ना लाल जैन, निवासी मुकेश लॉज के पास टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

12.5.16

(4) श्रीमति रितु पत्नी मनोज कुमार जैन

(5) श्रीमति निशा रावत पत्नी प्रदीप रावत

(6) गुलाव खंगार पुत्र श्यामलाल खंगार,निवासी ग्राम शिवपुरी जमड़ार तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश न्यायालय अपर आयुक्त सागर के प्रकरण कमांक 727/अ–3/13–14 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.02.2016 के विरूद्ध

महोदय,

आवेदक अपनी निगरानी में सादर निम्न विनय करता है :–

{1} यह कि, प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि, कृषि भूमि खसरा नं. 40/1 एवं 40/2 कुल रकवा 9–29 डेसीमल स्थित ग्राम शिवपुरी जमड़ार तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) जो आवेदक के पिता श्यामलाल खंगार के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित रही है तथा श्यामलाल की स्वयं की अर्जित सम्पत्ति रही है जो श्यामलाल ने नीलामी में कय की थी।

②

गौरी शंकर / प्रभु स्वाल

R-1474-I/16

5-7-18

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। समय-समय पर तीन बार पुकार लगाई गई। फिर भी कोई उप० नहीं।

अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थित के कारण अदम पैरवी के खारिज किया जाता है।

सदस्य 5.7

D.D.